भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2483

जिसका उत्तर सोमवार, 4 अगस्त, 2025/13 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें

2483. श्री जय प्रकाश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, अमीपुर नागोला शाखा के विरुद्ध कृषि ऋण वितरण में गड़बड़ी, अपने पद का दुरुपयोग करने और बैंक द्वारा स्थापित नियमों की घोर अनदेखी करने तथा अचेतन और असुरक्षित गांवों को अपने षडयंत्र में फंसाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी जांच का परिणाम क्या है;

(घ) क्या बैंक नियमों को लागू करने में किसी बैंक अधिकारी को दोषी पाया गया या उसकी पहचान की गई; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी बैंक अधिकारियों के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): पूर्ववर्ती प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक (पीयूपीजीबी) की अमीपुर नागोला, हापुड़ शाखा के प्रबंधक के विरुद्ध शिकायतकर्ता के ऋण खाते से निधि के गबन का आरोप लगाते हुए शिकायत प्राप्त हुई थी। उक्त शिकायत को लागू नियमों/विनियमों के अंतर्गत जांच करने के लिए नाबार्ड को अग्रेषित किया गया था। नाबार्ड ने यह सूचित किया है कि आरोपों की निष्पक्ष जांच से ज्ञात हुआ है कि सभी ऋण दस्तावेजों पर शिकायतकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि, जांच में यह भी पाया गया कि ऋण दस्तावेजीकरण प्रक्रिया और वित्तीय लेनदेन में खामियां/अनियमितताएं थीं।

संबंधित शाखा प्रबंधक को एक अन्य शाखा में धोखाधड़ी के मामले में भी लिप्त पाया गया था और तब से उन्हें बैंक की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

*****